-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा महिला के साथ लूट व टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये शत् प्रतिशत माल बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा थाना अतर्रा क्षेत्र में टप्पेबाजी व लूट के मामले में वांछित दो अभियुक्तों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 01.05.2025 को कस्बा अतर्रा की रहने वाली शान्ति गुप्ता के साथ 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट व टप्पेबाजी की घटना कारित करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का लगाया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा घटना को अंजाम दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में लूटे गये शत प्रतिशत माल तथा घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे व जिन्दा कारतूस भी बरामद हुए है।

बरामदगी-

- लूटे गए पीली धातु के आभूषण
- लूटे गए 01 मोबाइल फोन
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विनय सिंह परमार पुत्र लालू परमार निवासी भट्ठा गांव परदेशी मोहल्ला सदर बाजार जनपद झांसी।
2. शंकर सिंह सोलंकी पुत्र सेवाराम सोलंकी निवासी बिजपुरी थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 149/2025 धारा 309(4)117(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष अतर्रा श्री आनन्द कुमार
2. उ0नि0 श्री शिवकुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री दीपक कुमार सैनी
4. कां0 शुभम सिंह
5. कां0 विजय सिंह
6. कां0 अंकित वर्मा
7. कां0 विश्वनाथ सिंह